23/6/18

पत्रावली लोक अदालत केम्प जालिमपुरा में पेश हुई। प्रतिवादी नं0 3 निर्मला एवं कालूलाल मजमें आम में उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान् को मजमें आम में सुना गया। वादनी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53—188 में प्रस्तुत कर विवादित आराजी वाके ग्राम बगतरी तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 156 रकबा 0.04 हे0, ख0नं0 215 रकबा 0.04 हे0, ख0नं0 216 रकबा 0.09 हे0, ख0नं0 222 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 552 रकबा 1.43 हे0 कुल किता 5 रकबा 1.68 हे0 भूमि का वादनी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हॉल्डिंग विभाजन कर वादनी को उसके 1/2 हिस्से की भूमि को अलग किया जाकर वादनी के अलग खातें में दर्ज किये जानें की प्रार्थना की है। प्रतिवादीगण ने मजमें आम में उपस्थित होकर कथन किये कि वादनी द्वारा

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर जो तामी
	वांछित रिलीफ के क्रम में वादनी ने ख0नं0 552 में से अपनें निहित हिस्से 1/2 की आराजी का बैचान मुख्तार आम द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से किया जा चुका है। अतः वाद वादनी खारिज किया जावें। मजमें आम में पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचार किया। पत्रावली पर उपलब्ध छायाप्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.09.2012 के अवलोकन से जाहिर आता है कि वादनी के हिस्से की भूमि का जरिये मुख्तार आम बैचान किया जा चुका है। जिससे बैचान की गई भूमि में से वादनी के स्वत्वों का अवसान हो चुका है। जिससे वाद चलनें योग्य नहीं है। लिहाजा वाद वादनी खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

रीख अ
हुक्म व

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प जालिमपुरा

उनवान

मथुरी बाई पुत्री भवाना पत्नी जगन्नाथ जाति माली निवासी अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

– वादनी

बनाम

1. भूलीबाई पुत्री भवाना पत्नी रामनारायण जाति माली निवासी घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा
3. निर्मला बाई पत्नी शान्तिलाल जाति माली निवासी बगतरी तहसील दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53–188 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 11/13

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादनी खारिज किया जाता है।" तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 23.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner